**15-क. साधारण मुख्तारनामा**

यह उन सभी को ज्ञात हो कि यह इस बात से सरोकार रख सकेगा कि मैं/हम मेरे/हमारे विधिपूर्ण विधिक साधारण एटर्नी के रूप में को एतदद्वारा नाम निर्देशित करता हूँ/करते हैं, नियुक्त करता हूँ/ करते है एवम् स्थापित करता हूँ/करते हैं और निम्नलिखित कार्यों, विलेखों और बातों को करने के लिए सम्बन्धित सम्पत्ति सं. की बाबत मेरे /हमारी ओर से और मेरे/हमारे स्थान पर तथा मेरे / हमारे नाम से नियुक्त करने के लिए उसको प्राधिकृत करता हूँ /करते हैं और मैं/हम मात्र कथित सम्पत्ति की बाबत मेरे / हमारे नाम से तथा मेरे / हमारे निमित्त निम्नलिखित कार्यों, विलेखों एवम् बातों को करने के लिए मेरी/हमारी कथित सम्पत्ति को एतद्वारा सशक्त करता हूँ/करते हैं।

1. कथित सम्पत्ति के मामलों का व्यवस्थापन करने के लिए उसको नियन्त्रित करने के लिए तथा उसका पर्यवेक्षण करने के लिए तथा प्रयोजनार्थ उसका भौतिक कब्जा रखने के लिए, किसी राज्य /केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय / प्राधिकारी के समक्ष मुझे / हमें व्यपदिष्ट करने के लिए अर्थात् एम. सी. डी. / एल. एण्ड डी.ओ. / सक्षम प्राधिकारी जिसको इस प्रकार चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी रीति से कथित सम्पत्ति से जो जोड़ा जा सकेगा और / या उससे सम्बन्धित बनाया जा सकेगा और कथित सम्पत्ति या उसके किसी अनुषंगिक मुददे की बाबत मेरे/ हमारे निमित्त और मेरे / हमारे नाम से तथा मेरे / हमारे के स्थान पर कोई कथन, आवेदनपत्र, शपथपत्र, वचनबन्ध इत्यादि को प्रस्तुत करने के लिए।
2. ऐसे निबन्धनों पर संपूर्ण भूखण्ड या उसके आंशिक भाग पर बातचीत करने के लिए, उसका विक्रय करने के करार में भाग लेने के लिए, सहयोग करने के लिए या उसका व्ययन करने के लिए या विनियमन, बन्धक, पट्टा, विक्रय के रूप में अंतरित करने के लिए (चाहे स्थायी रूप से हो या बड़ी या संक्षिप्त कालावधि के लिए) जिसको मेरा / हमारे एटर्नी उसकी / उसका एकमात्र स्वविवेकाधिकार भी हो, किसी व्यक्ति के साथ उपयुक्त एवम् ठीक समझे, और आशय रखने वाले क्रेता के साथ किसी करार में भाग लेने के लिए, उसके स्वयम् के नाम से या उसके नाम निर्देशिती (गण) के नाम से अग्रिम धन / पूर्ण / एवम् अंतिम भुगतान प्राप्त करने के लिए तथा उसकी रसीदे देने के लिए।
3. आयकर अनापत्ति प्रमाणपत्र के आवेदन करने के लिए, यदि वैसा अपेक्षित हो तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230- क (i) के उपबंधों के अधीन, प्ररूप 34-क में सम्बन्धित आयकर अधिकारी के कार्यालय से, कथित सम्पत्ति या उसके किसी भाग में मेरे/हमारे अधिकारों हितों. मार्गों एवम हकों के विक्रय / अंतरण के लिए तथा उन सभी कार्यों, विलेखों एवम् बातों को करने के प्रयोजनार्थ जो प्रयोजनार्थ आवश्यक है/है।
4. आशय रखने वाले क्रेता (गण) के पक्ष में कथित सम्पत्ति या उसके किसी भाग में मेरे / हमारे अधिकारों. हितों, मार्गों तथा हकों को हस्तांतरित करने के लिए उचित रजिस्टर करने वाले प्राधिकारी के समक्ष, उचित विक्रय / हस्तांतरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए निष्पादित करने के लिए, हस्ताक्षरित करने के लिए तथा प्रस्तुत करने के लिए तथा उसको हो पूर्ण रुपेण हस्तांतरित करने के प्रयोजनार्थ तथा आशय रखने वाले क्रेता या उसके नाम निर्देशिती (गण) के पक्ष में, उन सभी कार्यों, विलेखों एवम् बातों को करने के लिए जो प्रयोजनार्थ आवश्यक है/हैं यह कि, उसके प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए तथा उसकी रसीद स्वीकृत करने के लिए तथा या तो भौतिक या आन्वयिक उसके नाम निर्देशिती (गण) को कथित क्रेता को उसका कब्जा परिदान करने के लिए जो साथ हो।
5. एल. एण्ड डी. ओ./या किसी सम्बन्धित प्राधिकारी से कथित सम्पत्ति के पूर्णस्वामित्व में संपरिवर्तन के लिए तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी आवेदनपत्र, शपथपत्र, क्षति पूर्तिबन्धपत्र, घोषणा इत्यादि को प्रस्तुत करने और अपेक्षित फीस / प्रभार / शुल्क का संदाय करने के लिए यदि कोई हो तो आशय करने वाले क्रेता (गण) या उसके नाम निर्देशिती (गण) के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में पट्टाधृत प्रणाली से संपरिवर्तन की माँग करना।
6. साधारण तौर पर उन सभी कार्यों, विलेखों एवम बातों को करना जिसको मेरा/हमारा कथित एटर्नी कथित सम्पत्ति के प्रबन्ध नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए उचित एवम् ठीक समझे, यद्यपि उसका भी इस दस्तावेज में उल्लेख नहीं किया जाता है।

और मैं / हम, निष्पादिती, एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट तौर पर उल्लेख करते हैं कि कथित सम्पत्ति की बाबत एटर्नी की इस शक्ति के आधार पर मेरे / हमारे एटर्नी द्वारा किये गये करवाये गये कार्यों, विलेखों एवम बातों का अर्थान्वयन मेरे / हमारे द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किये गये कार्यों, विलेखों एवम् बातों के रूप में किया जाना चाहिए मानों मैं / हम हाजिर है / हैं, जिसके साक्ष्य में मैं/हम इस साधारण मुख्तारनामा का निष्पादन करता हूँ / करते हैं जो निम्नलिखित साक्षियों की हाजिरी में तारीख .............. .............. को .............. .............. में विखण्डनीय होगा।

**साक्षीगण निष्पादक**

1. **......... ........**
2. **........ ........**